टीएचडीसीआईएल

टीएचडीसीआईएल एटीएन अवस्थिति

क्रं सं.	एटीएन न.	प्राप्ति की तिथि	एटीएन का सार	एटीएन में तेजी लाने के लिए कंपनी द्वारा की गई कार्रवाई	वर्तमान स्थिति
1	13.1	2014 की रिपोर्ट संख्या 13 दिनांक: 05.09.2014	2014 की रिपोर्ट संख्या 13 पर एटीएन केंद्र सरकार (वाणिज्यिक) के अनुपालन में अवकाश नकदीकरण पर पीएफ योगदान से संबंधित लेखापरीक्षा अवलोकन पैरा संख्या 13.1 (ख) टीएचडीसीआईएल से संबंधित है	अवकाश नकदीकरण पर पीएफ अंशदान से संबंधित पैरा संख्या 13.1 (ख) टीएचडीसीआईएल डब्ल्यूपी संख्या 174/2016 से संबंधित है। मामला नैनीताल उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। मामला 06.05.2016 को सूचीबद्ध किया गया था न्यायालय ने इस पर तीन माह का अंतरिम रोक लगा दी है। इसके पश्चात डिवीजन ब्रांच में दिनांक 27.04.2018 को याचिका दायर की गई, इसके बाद आदेश निम्नानुसार पारित किया गया था: "मामले को 18 मई 2018 को सूचीबद्ध करें। अंतरिम आदेश पदस्थापन की अगली तिथि तक जारी रहेगा।	टीएचडीसीआईएल ने मामले को आगे बढ़ाने के लिए 29.03.2022 और 21.12.2022 को तत्काल आवेदन किया है। माननीय उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने मामले को 07.11.2023 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।

				विषयगत मामला आगामी दिनांक 18.5.18 और दिनांक 05.12.2018 को सूचीबद्ध किया गया था लेकिन अदालत द्वारा सुनवाई नहीं की जा सकी। चूंकि, दिनांक 27.04.2018 के बाद मामले में कोई सुनवाई नहीं हुई है, इसलिए रोक संबंधी आदेश दिनांक 27.04.2018 आज भी प्रभावी है। टीएचडीसीआईएल ने मामले को आगे बढ़ाने के लिए दिनांक 29.03.2022 को तत्काल आवश्यक आवेदन भरा था, लेकिन आज तक, इसे माननीय उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा नियमित सुनवाई के लिए नहीं लिया जा सका। उम्मीद है कि जल्द ही मामले की नियमित सुनवाई हो सकती है. "इसके अलावा नियमानुसार एमओपी को अद्यतन स्थिति से नियमित रूप से अवगत कराया जाता है	
2	4.5.5.	रिपोर्ट क्रमांक 7 पृष्ठ 2020 पैरा क्रमांक 4.5.5	एटीएन नंबर 4.5.5. रिपोर्ट संख्या 7/2000 के प्रकटीकरण की रिपोर्टिंग के संबंध में। 50 सीपीएसई (परिशिष्ट XXX) प्रत्यक्ष और	विद्युत मंत्रालय द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 20.03.2023 को प्रस्तुत की गई, जो इस तथ्य की पुष्टि करती है कि कंपनी दिनांक	विद्युत मंत्रालय द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 20.03.2023 को प्रस्तुत की गई। एमओपी/ऑडिट के पास लंबित।

			ओवरहेड व्यय के परियोजनावार विवरण की रिपोर्ट नहीं कर रहे थे	22.01.2021 को जारी अधिसूचना के तहत प्रारूपों के अनुसार वार्षिक रिपोर्ट में अनुपालन और रिपोर्टिंग कर रही है।	
3	7.9	रिपोर्ट संख्या 13/2019 पैरा क्रमांक 7.9 की स्थिति डीपीई द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक अनुलाभों का अनियमित भुगतान	रिपोर्ट संख्या 13/2009 पैरा संख्या 7.9 की स्थिति, टीएचडीसी ने अपने कर्मचारियों को डीपीई द्वारा निर्धारित 50% की सीमा से अधिक अनुलाभों का अनियमित भुगतान किया है।	ऊर्जा मंत्रालय ने पत्र दिनांक 26.10.2022 के माध्यम से पैरा को हटाने की सिफारिश की है। ऑडिट ने कुछ और जानकारी/स्पष्टीकरण मांगा, जो प्रदान किया गया।	दिनांक: 26.06.2023 की ऑडिट ईमेल का जवाब दिनांक: 03.07.2023 के पत्र सं. टीएचडीसी/ऋषि/बजट/120 के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। मामला ऊर्जा मंत्रालय/ ऑडिट के पास लंबित।
4	1.4.2	2021 की रिपोर्ट संख्या 12	पैरा संख्या 1.4.2 आरओसीईई-के अनुसार निर्माणधीन परियोजना में पर्याप्त निवल मूल्य लगाने के कारण 19-20 में आरओसीईई में कमी आई है।	ऊर्जा मंत्रालय ने पत्र दिनांक: 21.11.2022 के माध्यम से लेखापरीक्षा को पैरा हटाने की सिफारिश की है। ऑडिट अभी भी एटीएन का अनुसरण कर रहा है।	दिनांक: 27.02.2023 के पत्र संख्या टीएचडीसी/ऋषि/ बजट/307 के द्वारा जवाब दिया गया
5	3.7 2.4	2021 की रिपोर्ट संख्या 12	पैरा संख्या 3.7 2.4 के अनुसार देहरादून में निजी भूमि के मूल्यांकन में ऑडिट ने पाया कि भूमि के खण्ड देहरादून और उत्तराखंड के अन्य निकटवर्ती उपनगरीय क्षेत्रों में स्थित थे और इसलिए 40 प्रतिशत की सीमा तक छूट के आवेदन के संबंध में कारणों की जांच की गई।	दीपम से संबंधित	दिनांक 29.08.2022 को ईमेल के माध्यम से जवाब दिया गया और सूचित किया गया कि एटीएन दीपम से संबंधित है। ऑडिट के स्तर पर लंबित है।
6	3.3.1	2022 की रिपोर्ट संख्या 31	आंकड़ों एवं प्रविष्टियों का	टीएचडीसी से संबंधित नहीं है।	टीएचडीसी पर लागू नहीं है और

		(वित्तीय लेखापरीक्षा)	वर्गीकरण बेमेल होना। निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) विद्युत मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत विनिवेश विवरण में विसंगति थी।		दिनांक 04.08.2023 के पत्र संख्या टीएचडीसी/ऋषि/ बजट/185 के माध्यम से उत्तर दिया गया।
7	3.2.2	2022 की रिपोर्ट संख्या 31 (वित्तीय लेखापरीक्षा)	विवरण 4 और सीपीएसई रिकॉर्ड में दर्शाई गई गारंटियों के मध्य भिन्नता- विद्युत मंत्रालय द्वारा केंद्रीय खातों में 31 मार्च 2021 तक बकाया गारंटी में 981.52 करोड़ रूपये एवं सीपीएसई द्वारा रु. 985.06 करोड़. की भिन्नता।	राशि में भिन्नता का कारण स्पष्ट करते हुए जवाब भेजा गया है।	दिनांक: 04.08.2023 के पत्र संख्या टीएचडीसी/ऋषि/ बजट/185 के माध्यम से उत्तर दिया गया। लेखापरीक्षा के स्पर लंबित है।